Gen. No 13

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुन्तकिली प्रकरण सं0 23/2015 अनवानी 1–शोभदीपसिंह पुत्र जगरूप सिंह 2–गुरविन्द्र सिंह पुत्र हरबंससिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 के.डबल्यू.एम. तहसील घड़साना हाल आबाद बख्तावाली (19 एम.एल.) तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–बलविन्द्र सिंह 2–सुखविन्द्रसिंह पि0 जोत सिंह जाति जटसिख निवासी बख्तांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर 3–तहसीलदार भूराजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर

12.12.2015

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थित है। बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा एक प्रा0 पत्र अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 31(2) में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके हक में मृत्तक नाजरसिंह द्वारा चक 13केडबल्यूएम के मु0न0 57 प0 न0 112/26 के 25.00 बीघा भूमि की एक वसीयत दिनांक 05.08.2014 श्रीगंगानगर से करवाई हुई है। इसलिए उनके द्वारा वसीयत के आधार पर ईन्तकाल दर्ज करने की प्रार्थना की गई है जिस पर तहसीलदार (भूराजस्व) घड़साना के न्यायालय में एक वसीयत प्रकरण सं0 3/2015 बलविन्द्र सिंह वगैरा बनाम सरकार विचाराधीन है। उनका आगे कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, घड़साना के समक्ष कथन किया कि उनके हक में मृत्तक नाजरसिंह द्वारा भी एक वसीयत दिनांक 01.06.2012 को उपपंजियक घड़साना से करवाई हुई है। उनका आगे कथन है कि विवादग्रस्त भूमि तहसील घड़साना की है उनकी वसीयत घड़साना की होने के कारण मान्यता रखती है दूसरी वसीयत मान्य नही है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को तहसीलदार, घड़साना से न्याय नही मिलेगा। चूंकि तहसीलदार को वसीयत की वैद्यता के संबंध में कोई अधिकारिता नही है।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि मृत्तक नाजरसिंह द्वारा दिनांक 05.08.2014 को वसीयत उनके पक्ष में की गयी है जिसमें पूर्व की वसीयत दिनांक 091.06.2012 को भी वसीयतकर्ता स्वयं द्वारा निरस्त किया गया है। इसलिए पूर्व की वसीयत दिनांक 01.06.2012 के आधार पर ईन्तकाल दर्ज नही किया जा सकता। इसलिए प्रार्थीगण को 01.06.2012 की वसीयत के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इसलिए उनके द्वारा अनावश्यक रूप से कार्यवाही विलम्ब करने के लिए प्रा0 पत्र पेश किया गया है। उनका यह भी कथन है कि वसीयत कहीं भी की जा सकती है। इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नही है कि जहां की भूमि है वहीं वसीयत की जा सकती है। प्रार्थीगण का भूमि से कोई संबंध नही है। तहसीलदार वसीयत दिनांक 05.08.2014 के आधार पर ईन्तकाल दर्ज करने के लिए सक्ष्म है। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में मृत्तक नाजरसिंह द्वारा की गई वसीयत दिनांक 05.08.2014 अथवा 01.06.2012 की वसीयत वैद्य है अथवा नही? गुणदोष पर इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नही किया जाना है। केवलमात्र तहसीलदार, घड़साना के समक्ष लंबित प्रकरण को मुन्तकिल करने अथवा न करने का निर्णय किया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु को लेकर यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र पेश किया गया है यह एक कानूनी बिन्दु है और जिस पर तहसीलदार द्वारा ही निर्णय लिया जाना है। पीठासीन अधिकारी पर ऐसा कोई आरोप नही है जिससे कोई पक्षपात नजर आता हो। ऐसी दशा में मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर